

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक

/ 12-1

दिनांक , चम्पावत

19-3-

2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल-निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/10142/2015)

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत की पत्र संख्या 278/03 पी०एम०जी०एस० वाई० दिनांक 11.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चमदेवल निडिल मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी. पी./06/82/2015/एफ.सी./262 दिनांक 29.06.2021 के द्वारा 4 बिन्दुओं की आपत्ति प्रकट की गयी है। जिसका अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसके अनुसार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

क्र० सं०	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति	कृत कार्यवाही
1.	It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/- State Govt. may submit the clarification in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा पूर्व में एन०पी०वी० की धनराशि घनत्व 0.3 के अनुसार 3639780 कैम्पा मद में जमा की गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी के डिमाण्ड नोट के अनुसार घनत्व 0.4 है० के लिए अतिरिक्त रू० 1041520.00 को कैम्पा मद में जमा किया जा चुका है।
2.	State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.	प्रस्तावक विभाग के द्वारा धनराशि 3396363.00 रू० मात्र की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना संलग्न की गयी है।
3.	In compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following points are noticed;	
i	The area of CA is mentioned as 11.80 ha. Instead of 11.08 ha. In the Nodal Officer's letter. State Government may submit the clarification in this regard.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का वास्तविक क्षेत्रफल 11.08 है०, अन्य सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों (क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के नक्शे, के०एम०एल० फाईल) में 11.08 है० है। नोडल अधिकारी के पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल 11.80 है० लिपिकीय त्रुटिवश है।
ii	Name of CA area is mentioned to be in Gureli village only instead of Gureli village and Selpar village. State Government may submit clarification.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित स्थल ग्राम-गुरेली एवं ग्राम-सेलासेलपड में संयुक्त रूप से है, जिसमें ग्राम गुरेली में 6.171 है० एवं ग्राम सेलासेलपड में 4.909 है० चयनित है।
4.	As per the guidelines 2.4 [i], it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as	प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाली 5.540 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग,

Handan Bhargava
Shri Sheroj Kumar

Shri Sheroj Kumar
Shri Sheroj Kumar

RF/PF prior to the Stage-II approval. But still the proposal has forwarded without notification.

उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किया गया है। उक्त वन भूमि के बदले ग्राम-गुरेली, प0क्ष0-पुल्ला, तहसील-लोहाघाट, जनपद-चम्पावत के गै0ज0वि0 श्रेणी-10(4), बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता-121, खेत न0 4877, रकबा 1.008 है0, खसरा न0-4378 रकबा 5.163 है0, कुल 6.171 है0 एवं ग्राम-सेला सलपड़, तहसील-लोहाघाट, के गै0ज0वि0 श्रेणी-9(3)ड0, बंजर काबिल आबाद के खतौनी खाता संख्या-197, खसरा न0-8357, रकबा 4.909 है0, इस प्रकार कुल 11.080 है0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किया गया है। वन विभाग को हस्तांतरित की गयी है सन 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा भूमि का अमल दारामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने

का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर0सी0काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक 4073 / 12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

e

पत्रांक278/03 पीएमजीएसवाई
सेवा में,

दिनांक11./03/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय :- जनपद-चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल-निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10142/2015)

सन्दर्भ :- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक सं० 2843/FP/UK/ROAD/10142/2015, दिनांक 16.06.2021 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 8वी०/यू०सी०पी०/06/82/2015/एफ०सी०/262, दिनांक 29.06.2021

महोदय,


उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में आपके द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है, जो निम्नानुसार है -

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/- State Govt. may submit the clarification in this regard.	पूर्व में एन०पी०वी० की धनराशि घनत्व 0.3 हे० के अनुसार 3639780 कैम्पा मद में जमा की गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी के डिमान्ड नोट के अनुसार घनत्व 0.4 हे० अतिरिक्त धनराशि रू० 1041520.00 को कैम्पा मद में जमा किया जा चुका है। कुल रू० 4681300.00 कैम्पा मद में घनत्व 0.4 हे० के अनुसार जमा किया जा चुका है। (संलग्न)
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.	संलग्न है।
3	In compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following points are noticed:	-
(i)	The area of CA is mentioned as 11.80 ha. Instead of 11.08 ha. In the Nodal Officer's letter. State Government may submit the clarification in this regard.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का वास्तविक क्षेत्रफल 11.08 हे० है, अन्य सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों (क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के नक्से, के०एम०एल० फाइल) में 11.08 हे० है। नोडल अधिकारी के पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल 11.80 हे० लिपिकीय त्रुटिवश है।

(ii)	Name of CA area is mentioned to be in Gureli village only instead of Gureli village and Selpar village. State Government may submit clarification.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित स्थल ग्राम-गुरेली एवं ग्राम-सेलासेलपड में संयुक्त रूप से है, जिसमें ग्राम गुरेली में 6.171 हे० एवं ग्राम सेलासेलपड में 4.909 हे० चयनित है। (प्रपत्र संलग्न हैं)
4	As per the guidelines 2.4 (i). it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as RF/PF prior to the Stage-II approval. But still the proposal has been forwarded without notification.	उक्त कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 05 प्रतियों में।

भवदीय,


 अधिशासी अभियन्ता,
 सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०) चम्पावत।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फ0 संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/82/2015/एफ0 सी0/2-62

दिनांक 29/06/2021

सेवा में

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - चम्पावत में चमड़देवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/10142/2015)


सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -
2843/FP/UK/ROAD/10142/2015 दिनांक 16-06-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

- 1- It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/-. State Govt. may submit the clarification in this regard.
- 2- State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.
- 3- In compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following points are noticed:
 - (i) The area of CA is mentioned as 11.80 ha instead of 11.08 ha in the Nodal Officer's letter. State Government may submit the clarification in this regard.
 - (ii) Name of CA area is mentioned to be in *Gureli* village only instead of *Gureli* village and *Selpar* village. State Government may submit clarification.
- 4- As per the guidelines 2.4 (i), it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as RF/PF prior to the Stage-II approval. But still the proposal has been forwarded without notification.

भवदीय,


(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-02-2024

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6110142590
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/82/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWATChampawat
Amount(In Rs)	1041520/-

Amount In Words :Ten Lakh Forty-One Thousand Five Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110142590 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-02-2024

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6110142590
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/82/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWAT Champawat
Amount(In Rs)	1041520/-

Amount In Words :Ten Lakh Forty-One Thousand Five Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110142590 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Proposal Detail

1. Proposal No. :FP/UK/ROAD/10142/2015
2. Proposal Name :Construction of Chamdeval to Nidil M/R under PMGSY Champawat.
3. Category of the Proposal :Road
4. Date of In-principle :15/02/2015
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name :PMGSY
Mobile No. :7534880799
Email ID :eepingsychampawat@rediffmail.com
State :Uttarakhand
District :Champawat
Pincode :262523

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation :Rs. 0/-
 2. Additional Compensatory Afforestation :Rs. 0/-
 3. Penal Compensatory Afforestation :Rs. 0/-
 4. Catchment Area Treatment :Rs. 0/-
 5. Safety Zone :Rs. 0/-
 6. Additional Charges for protected area :Rs. 0/-
 7. Net Present Value (NPV) :Rs. 1041520/-
 8. Other Charges :Rs.0/-
 9. Other Charges1 :Rs.0/-
 10. Other Charges2 :Rs.0/-
 11. Other Charges3 :Rs.0/-
- Total Amount :Rs. 1041520/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

कार्यालय प्रभागी वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965230375- Fax No. 230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 3115

/12-1

दिनांक, चम्पावत 31-01-2024

सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
देहरादून खण्ड, लोक निर्माण विभाग
चम्पावत।

जनपद-चम्पावत में घमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/10142/2015

भारत सरकार की पत्र संख्या-08बी/यू०पी०वी०/2015 एफ०सी०/260 दिनांक 29.06.2021 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या-3158/12-1 दिनांक 18.01.2024।

भवदीय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8B/UCP/06/82/2015/FC/1396 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन०पी०वी० की धनराशि हरियाली घनत्व 0.30 के अनुसार धनराशि 3696363.00 (छत्तीस लाख छियानब्बे हजार तीन सौ तिरैसठ) मात्र जमा की गई है जबकि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि हरियाली घनत्व 0.40 के अनुसार 4681300.00 (छियालीस लाख इकासी हजार तीन सौ) मात्र जमा की जानी है, जिसके लिए एन०पी०वी० की अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।


भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन०पी०वी० की दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है -

1. ईको-क्लास श्रेणी	=	V th
2. हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.4 (40%)
3. एन०पी०वी० की दर (प्रति है०)	=	845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	=	5.54
5. कुल देय एन०पी०वी० धनराशि (रूपये)	=	4681300.00
6. पूर्व में जमा की गई एन०पी०वी० धनराशि (रूपये)	=	-3639780.00
7. वर्तमान में देय एन०पी०वी० धनराशि (रूपये)	=	1041520.00

दस लाख इकचालीस हजार पांच सौ बीस मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में अनुपालन आख्या दिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

संख्या-

/दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त अल्मोडा।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रारूप - 42

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि (11.08 हे0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राकल्लन।

वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल - 11.08 हे0

वृक्षारोपण स्थल - सेला-सेलपड़ (4.909 हे0) तथा गुरेली (6.171 हे0), तहसील-लोहाघाट

रोपित किए जाने वाले वृक्ष - च्यूर, शीठा, ऑवला, रोहणी, पदम एवं साल आदि।

रोपित किए जाने वाले पौधों की सं0-17728


क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	11.08	हे0	147.00	1628.76
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	11.08	हे0	887.00	9827.96
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	11.08	हे0	11700.00	129636.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0	930.72	घन मी0	478.00	444884.16
5	कन्टूर फरों का कार्य (प्रति हे0 600 र0मी0)	-	प्रति र0मी0	-	-
6	अग्रिम मृदा कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45) 1600 गड़ढा प्रति हे0	17728.00	गड़ढे	11.14	197489.92
7	निरीक्षण बटिया बनना	11.08	हे0	737.00	8165.96
8	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	17728.00	पौध	8.70	154233.60
9	अन्य व्यय जैसे गड़ढों की गिनती/दीवाल नपत हेतु चूना कय, वर्षा जल संग्रहण के लिए पानी संचय करने हेतु ढाल के अनुसार छोटी नालियां बनाना आदि।	11.08	(ल0स0) प्रति हे0	400.00	4432.00
योग - प्रथम चरण					894207.36
द्वितीय चरण					
1	गड़ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	17728.00	गड़ढे	1.75	31024.00
2	कन्टूर फरों में बीज बुआई (प्रति हे0 600 र0मी0)	-	प्रति र0मी0	-	-
3	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	17728.00	पौध	1.75	31024.00
4	पौध दुलान कार्य (25 नंगी तथा 75 बैग पौध रोपण तथा 25 कि0मी0 वाहन व 3 कि0मी0 सिरबोझ औसत पर)	17728.00	पौध	9.70	171961.60
5	पौध रोपण व थालाबन्दी	17728.00	पौध	3.13	55488.64
6	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग	17728.00	पौध	1.15	20387.20
7	रासायनिक खाद व दवा	17728.00	पौध	0.32	5672.96
8-1	देखरेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम स कम 10 हे0 पर)	11.08	हे0	7235.00	80163.80
8-2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	(ल0स0) प्रति हे0	350.00	3878.00
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	11.08	(ल0स0) प्रति हे0	225.00	2493.00


क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना।	11.08	(ल०स०) प्रति है०	400.00	4432.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि काय।	11.08	(ल०स०) प्रति है०	700.00	7756.00
	योग - द्वितीय चरण				414281.20
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				1308488.56
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	10852.00	120240.16
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	350.00	3878.00
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	225.00	2493.00
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	400.00	4432.00
	योग - तृतीय चरण				131043.16
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय) चरण				1439531.72
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	11937.20	132264.18
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	385.00	4265.80
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	247.50	2742.30
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	440.00	4875.20
	योग - चतुर्थ चरण				144147.48
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ) चरण				1583679.20
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	13130.92	145490.59
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	423.50	4692.38


क्र.सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	272.25	3016.53
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	484.00	5362.72
	योग - पंचम चरण				158562.22
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम) चरण				1742241.42
	षष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	14444.01	160039.65
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	465.85	5161.62
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	299.48	3318.18
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	532.40	5898.99
	योग - षष्ठम चरण				174418.44
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम) चरण				1916659.86
	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	15888.41	176043.62
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	512.44	5677.78
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	329.42	3650.00
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	585.64	6488.89
	योग - सप्तम चरण				191860.29
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम) चरण				2108520.15
	अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	17477.25	193647.98

क्र.सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	563.68	6245.56
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	362.36	4015.00
	2.3- वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	644.20	7137.78
	योग - अष्टम चरण				211046.32
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम) चरण				2319566.47
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	19224.98	213012.78
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	620.05	6870.11
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	398.60	4416.50
	2.3- वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	708.62	7851.56
	योग - नवम चरण				232150.95
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम) चरण				2551717.42
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	21147.48	234314.06
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	682.05	7557.12
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	438.46	4858.15
	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	779.49	8636.71
	योग - दशम चरण				255366.04
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम) चरण				2807083.46

क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
एकादश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	23262.23	257745.46
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	750.26	8312.84
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	482.31	5343.97
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	857.44	9500.39
योग - एकादश चरण					280902.66
कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम + एकादश) चरण					3087986.12
द्वादश चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	25588.45	283520.01
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	825.28	9144.12
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे०	530.54	5878.36
	2.3- वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे०	943.18	10450.42
योग - द्वादश चरण					308992.91
कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम + एकादश + द्वादश) चरण					3396979.03
या 11.08 हे० @ 306531.00					3396363.00


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत



वन प्रभाग चम्पावत
वन प्रभाग चम्पावत


प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।


:: कब्जा प्रमाण पत्र ::

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 5.540 हे० वनभूमि प्रभावित हो रही है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल 11.080 हे० सिविल भूमि ग्राम-गुरेली, प०क्ष०-पुल्ला, तहसील-लोहाघाट व जनपद-चम्पावत के गैर ज०वि० श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख० खाता संख्या-121, खेत नम्बर-4877 रकवा-1.008 हे०, खसरा नम्बर-4378 रकवा-5.163 हे०, कुल - 6.171 हे० एवं ग्राम-सेलासलपड़, प०क्ष०-मडलक, तहसील-लोहाघाट एवं जिला-चम्पावत के गैर ज०वि० श्रेणी 9(3)ड ब०का०आ० के ख० खाता संख्या-197, खसरा नम्बर-8357 रकवा-4.909 हे०, इस प्रकार कुल-11.080 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी चम्पावत के आदेश सं०-5779/सात-व०भू०-भूमि हस्ता०/2020-21 दिनांक - 14 अगस्त 2020 के क्रम में तहसीलदार लोहाघाट द्वारा पत्र सं०-657/भू-हस्ता० (र०का०)/2020-21 दिनांक - 07 अक्टूबर 2020 के द्वारा उक्त याचित भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वनविभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका अमल दरामद भी वनविभाग के नाम हो चुका है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के कब्जे में ले ली गयी है।


वनक्षेत्राधिकारी
लोहाघाट वनक्षेत्र।


जिलाधिकारी
चम्पावत

c.s

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

कार्यालय तहसीलदार, लोहाघाट
संख्या 657 / भू-हरता.(२०का०) / 2020-21 दिनांक 07 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो०नि०वि०),
पी०एम०जी०एस०वाई०, चम्पावत।

विषय- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाले वनभूमि के बदले 11.080 हेक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत के आदेश संख्या 5779/सात-व०भू०-भूमि हस्ता०/2020-21 दिनांक 14 अगस्त 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 5.540 हे० वन भूमि के बदले, ग्राम गुरेली प०क्षे० पुल्ला तहसील लोहाघाट जनपद चम्पावत के गैर जमींदारी विनास श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख० खाता संख्या 121, खेत नम्बर 4877 रक्वा 1.008 हे०, खसरा नम्बर 4378 रक्वा 5.163 हे०, कुल 6.171 हे० एवं ग्राम सेलारसलपड़ तहसील लोहाघाट के गैर जमींदारी विनास श्रेणी 9(3)इ बंजर नाकाबिल आबाद के ख० खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 8357 रक्वा 4.909 हे०, इस प्रकार कुल 11.080 हे० भूमि भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरण कर हस्तान्तरित कर दी गयी है। राजस्व उपनिरीक्षक मडलक, पुल्ला द्वारा तैयार खतौनियों के उद्धरण संलग्न है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न- यथोपरि।

67-10-2020
तहसीलदार,
लोहाघाट

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को उनके आदेश संख्या 5779 दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
2. उपजिलाधिकारी महोदय, लोहाघाट को सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार
लोहाघाट

आदेश

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक-8 बी/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/1386, दिनांक 23.09.2019 के द्वारा जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम- सेलासलपड़ में 4.909 हे0 तथा ग्राम- गुरेली में 6.171 हे0, कुल 11.080 हे0, सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में, उप जिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा अपने पत्र संख्या-674/सिविल भूमि-म्यूटेशन-2020, दिनांक 27 जुलाई, 2020 के द्वारा चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित 5.540 हे0 वन भूमि के बदले 11.080 हे0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु चयन कर म्यूटेशन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

- 1- उक्त परियोजना हेतु ग्राम-गुरेली, प0क्ष0-पुल्ला, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत के गै0ज0वि0 श्रेणी-10(4), बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या- 121, खेत नं0 4877, रकवा 1.008 हे0, खसरा नं0-4378 रकवा 5.163 हे0, कुल 6.171 हे0 एवं ग्राम सेला सलपड़ तहसील- लोहाघाट, के गै0ज0वि0 श्रेणी-9(3)ड0, बंजर नाकाबिल आबाद के खतौनी खाता संख्या-197, खसरा नं- 8357, रकवा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित की गयी है।
 - 2- प्रस्तावित भूमि के पूरब सरहदी नदी, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में राज्य सरकार की भूमि है।
 - 3- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक स्थल, श्मशानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।
 - 4- प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।
 - 5- प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।
 - 6- प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
- उपजिलाधिकारी, लोहाघाट द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक-8 बी/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/1386, दिनांक 23.09.2019 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की उक्त आख्या/संस्तुति के क्रम में, जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रस्तावित होने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के बदले, ग्राम-गुरेली, प0क्ष0-पुल्ला, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत के गै0ज0वि0 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या- 121, खेत नं0 4877, रकवा 1.008, हे0, खसरा नं0-4378 रकवा 5.163 हे0, कुल 6.171 हे0, एवं ग्राम सेलासलपड़ तहसील- लोहाघाट, के गै0ज0वि0 श्रेणी-9(3)ड0 बंजर नाकाबिल आबाद के ख0खाता संख्या-197, खसरा नं- 8357, रकवा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या- 5779/सात-व0भू0-भूमि हस्तौ0/2020-21, दिनांक 14 अगस्त, 2020।
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0), पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।
6. तहसीलदार, लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू-अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत।

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 10142/2015 योजना जनपद-चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.54 है० वनभूमि प्रभावित हो रही है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल 11.08 है० सिविल भूमि ग्राम - गुरेली, प०क्ष० - पुल्ला, तहसील - लोहाघाट व जनपद - चम्पावत के गैर ज०वि० खतौनी खाता संख्या - 121 श्रेणी 09(03)इ० बं०का०आ० के खेत सं० - 4877 मध्ये 1.008 है०, खेत सं० - 4378 मध्ये 5.163 है०, कुल 6.171 है० एवं ग्राम - सेलासेलपड़, प०क्ष० - पुल्ला, तहसील - लोहाघाट व जनपद - चम्पावत के गैर ज०वि० खतौनी खाता सं० - 197 श्रेणी 09(03)इ० बं०का०आ० के खेत सं० - 8357 के मध्ये कुल - 4.909 है० के मध्ये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। तहसीलदार, लोहाघाट द्वारा पत्र सं० - 657/भू०-हस्ता० (र०का०)/2020-21, दिनांक 07 अक्टूबर 2020 के द्वारा उक्त याचित भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका अमल दरामद भी वन विभाग के नाम हो चुका है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के कब्जे में ले ली गयी है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा - 4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

(ह०)


प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

(ह०)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय

वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
पत्रांक / अल्मोड़ा, दिनांक 2023

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

(ह०)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त।